



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 647 राँची, सोमवार,

14 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

5 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-53/2022 का.-27202 (HRMS)-- श्री प्रशांत कुमार लायक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-77/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद के विरुद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-3364/रा0, दिनांक 07.11.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री लायक के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

“आरोप:- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या-3096(06) रा0, दिनांक- 09.09.2022 के माध्यम से राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 560, दिनांक- 14.06.2022 जो अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सम्बोधित है तथा पत्र की प्रति प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग एवं उपायुक्त, धनबाद को भी आवश्यक कार्यार्थ प्राप्त है। पत्र के साथ रिवीजन वाद संख्या-11/2018 में माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची का आदेश दिनांक- 20.05.2022 संलग्न किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि वर्णित मामले में विद्वान सरकारी अधिवक्ता, राजस्व पर्षद को पर्याप्त सहयोग अचंलाधिकारी, धनबाद के द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

पारित आदेश का सारांश निम्नवत रूप से है:-

"LSGP is present and representing the state and respondent/OP is absent on call. LSGP has mentioned the CO Dhanbad is not extending adequate support. So, its evident that state authorities are not extending due cooperation, let the matter be brought to the notice of ACS R, R & LR GOJ for issuing necessary directions to appropriate authorities to extend needed help to LSGP. Necessary administrative action may be taken by the deptt. against such non cooperating authority/officials. Copy of the said order/letter may be given to Divisional Commissioner NCNP Hazaribagh and DC Dhanbad."

उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, धनबाद श्री प्रशांत कुमार लायक से दो दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश उपायुक्त, धनबाद के पत्र संख्या- 3038/रा0, दिनांक- 30.09.2022 के द्वारा दिया गया। किन्तु अंचलाधिकारी, धनबाद के द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब समर्पित नहीं किया गया।

इस प्रकार का कृत्य लोक सेवक के कार्य व्यवहार के लिए निर्धारित आचरण एवं सेवा संहिता के प्रतिकूल है। साथ ही उनका यह आचरण राज्यहित के विरुद्ध तथा प्रशासनिक लापरवाही का द्योतक है तथा राजस्व पर्षद, झारखण्ड के न्यायालयीय कार्य में बरती गयी उदासीनता को भी परिलक्षित करता है।

इस प्रकार श्री प्रशान्त कुमार लायक, अंचल अधिकारी, धनबाद का उक्त आचरण प्रथम दृष्टया निर्धारित कार्यव्यवहार में शिथिलता बरतते हुए लापरवाही, प्रशासनिक विफलता, लोक सेवा के लिए निर्धारित कर्तव्य निर्वहन के प्रति निष्ठा का अभाव को प्रदर्शित करता है।"

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7591, दिनांक 02.12.2022 द्वारा श्री लायक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री लायक के पत्रांक-1448, दिनांक 20.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री लायक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना संख्या- 1028, दिनांक- 29.09.2021 के द्वारा मुझे पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाये जाने तथा अधिसूचना संख्या- 521 दिनांक- 07.04.2022 द्वारा जिला परिषद सदस्य के चुनाव हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाये जाने के आलोक में दिनांक- 20.04.2022 से दिनांक- 22.05.2022 तक द्वितीय चरण के चुनाव कार्य में शामिल रहने के दौरान दिनांक- 20.05.2022 को माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद झारखण्ड के न्यायालय में मेरे द्वारा उपस्थित रहना संभव नहीं हो सका एवं उक्त सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी भी अनुपस्थित रहे तथा चुनाव कार्य समाप्त होने के पश्चात् माननीय राजस्व पर्षद के न्यायालय में मैं लगातार उपस्थित होकर विद्वान सरकारी अधिवक्ता को आवश्यक सहयोग प्रदान करता रहा हूँ ।

उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य चुनाव आयोग के प्रक्रियाधीन चुनाव के कार्य में पूर्ण रूपेण शामिल रहने के फलस्वरूप दिनांक- 20.05.2022 को माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद,

झारखण्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाने संबंधी वास्तविकता पर गौर करते हुए उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप से संबंधित कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3. श्री लायक के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-647, दिनांक 01.02.2023 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के क्रम में अपर समाहर्ता, धनबाद के पत्रांक- 2042/रा0, दिनांक- 08.06.2023 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि निर्वाचन कार्य में व्यस्तता को दृष्टिपथ में रखते हुए इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जा सकता है।

4. अपर समाहर्ता, धनबाद के पत्रांक- 2042/रा0, दिनांक- 08.06.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि उक्त मंतव्य पर उपायुक्त, धनबाद का मंतव्य प्राप्त है या नहीं? अतएव विभागीय पत्रांक- 4944 दिनांक- 30.08.2023 के द्वारा पुनः उपायुक्त, धनबाद से स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी एवं स्मारित किया गया।

उक्त के क्रम में उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक- 375/रा0, दिनांक- 07.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपर समाहर्ता, धनबाद के पत्रांक- 2042/रा0, दिनांक- 08.06.2023 के द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन/मंतव्य पर बिना अद्योहस्ताक्षरी के अनुमोदन प्राप्त किये प्रेषित किया गया है। भेजे गये मंतव्य से असहमत हूँ।

5. श्री लायक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य के समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में दर्ज रिवीजन वाद संख्या- 11/2018 में सरकारी पक्ष को सहयोग करने में शिथिलता बरतते हुए लापरवाही की गयी है। उपायुक्त, धनबाद के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने के संबंध में कोई तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा की गई स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देना आदेश की अवहेलना प्रदर्शित करता है।

6. उपरोक्त समीक्षा बिन्दु के आलोक में श्री लायक के विरुद्ध प्रस्तावित झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक- 3738, दिनांक- 31.05.2024 के द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी एवं स्मारित किया गया।

7. श्री लायक के द्वारा पत्रांक-231/भू0रा0, दिनांक- 27.07.2024 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि तत्कालीन समयावधि में चल रहे पंचायत चुनाव में Poll Ballot Box को जमा लेने हेतु जिला स्तर पर प्रदत्त निर्वहन कार्यों के पूर्ण रूप से सम्पादन के क्रम में काफी रात तक उनको काफी तत्परता एवं अथक प्रयास से सम्पादित करने में लगे रहे, जिस कारण वे निर्धारित तिथि को ससमय प्राधिकार के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। उक्त के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में भी संसूचित किया

जा चुका है तथा पत्र के साथ पूर्व में समर्पित कारण पृच्छा को संलग्न करते हुए प्रस्तावित 'निन्दन' के दण्ड से आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री लायक के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पूर्व में समर्पित तथ्यों के अतिरिक्त किसी प्रकार का नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है।

8. अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रशांत कुमार लायक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-77/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रशांत कुमार लायक, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-77/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRASHANT KUMAR LAYAK 20080400080	श्री प्रशांत कुमार लायक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-77/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या: PTS/VET/646
